न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
362/2021	19.01.2021	7/7/2025

पंखीलाल पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली —–वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर
2. रामधन पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
3. श्रीमन पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
4. शिवचरण पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
5. रामचरण पुत्र रामधन, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
6. एम.पी. पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
7. कमल पुत्र मोती, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
8. तिक्की पुत्र मोती, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली

—–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :– श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 5299 रकबा 0.84 है0 हिस्सा 1/3, ख0न0 5309 रकबा 0.44 है0, ख0न0 5310 रकबा 0.43 है0 कुल हिस्सा 1/3, ख0न0 5308 रकबा 1.54 है0 मे वादी का हिस्सा 1/6 राजस्व जमाबंदी मे दर्ज है। यह भूमि ग्राम वजीरपुर मे स्थित है। वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है। भूमि ख0न0 5308, 5309, 5310, 5299 ग्राम वजीरपुर मे वादी के पिता श्री मोतीलाल ने जरिए रजिस्ट्री अपने पुत्रों के नाम से खरीद की थी। वक्त रजिस्ट्री वादी के पिता ने वादी का नाम पंखी के स्थान पर प्यारेलाल लिखवा दिया था जबकि वादी के सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेज मे वादी का नाम पंखी उर्फ पंखीलाल मीन उर्फ पंखी मीना दर्ज है। वादी ने हिस्स की भूमि पर काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। वादी द्वारा दिनांक 15.1.2021 को अपनी कृषि भूमि पर केसीसी के लिए पत्रावली बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर इस गलती के बारे मे जानकारी हुई। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा इस हेतु न्यायालय से शुद्धि आदेश लाने को कहा इसलिए यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी की जमाबंदी रिकार्ड मे वर्णित भूमि

Scanned with OKEN Scanner

ख0न0 5308, 5309, 5310, 5299 ग्राम वजीरपुर मे वादी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोती के स्थान पर पंखी लाल पुत्र मोतीलाल दुरूस्त करने के आदेश प्रदान करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 ने अपने जबाब के विशेष विवरण मे अंकित किया है कि प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि हाल ख0न0 2999 रकबा 0.84 है0, ख0न0 5309 रकबा 0.44 है0, ख0न0 5310 रकबा 0.43 है0, ख0न0 5308 रकबा 1.54 है0 ग्राम वजीरपुर मे स्थित है। जिसे वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। ख0न0 5308, 5309, 5310, 5299 वादी के पिता ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है और उसी समय वादी के पिता ने रजिस्ट्री मे पंखीलाल के स्थान पर घर का बोलता नाम लिखवा दिया। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम प्यारेलाल के स्थान पर पंखलाल दर्ज कर दिया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किये जाने मे मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 खाता संख्या 574, 573, 483, ग्राम वजीरपुर एवं एम.पी. मीना पुत्र रामधन मीना, श्रीमन मीना पुत्र मोती मीना, कमल पुत्र मोतीलाल मीना, स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किये है एवं ग्राम पंचायत परीता तह0 करौली के सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई।

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम वजीरपुर ब की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 574 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल उर्फ पंखीलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/3, खाता संख्या 573 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल हिस्स 1/6, खाता संख्या 483 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी का नाम समस्त सरकारी दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड मे पंखीलाल पुत्र मोतीलाल दर्ज है जो सही है लेकिन राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल दर्ज है। खाता संख्या 574 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/3 दर्ज था जो नामा. संख्या 1247 दिनांक 11.2.22 न्यायालय आदेश प्यारेलाल के स्थान पर प्यारेलाल उर्फ पंखीलाल दर्ज हुई है। जॉच के दौरान पाया गया कि विक्रय पत्र करते सयह ही क्रेता का नाम प्यारेलाल दर्ज हुआ। प्यारेलाल व

पंखीलाल एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे प्यारेलाल के स्थान पर पंखीलाल शुद्ध किया जाना उचित है।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का वाद डिक्री करते वादी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल के स्थान पर पंखीलाल पुत्र मोतीलाल दर्ज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 574 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल उर्फ पंखीलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/3, खाता संख्या 573 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल हिस्स 1/6, खाता संख्या 483 मे प्रार्थी का नाम प्यारेलाल पुत्र मोतीलाल हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे तहसीलदार वजीरपुर द्वारा खाता संख्या 574, 573, 483 ग्राम वजीरपुर मे वादी का नाम प्यारेलाल के स्थान पर पंखीलाल शुद्ध करने का निवेदन किया है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर जमांबदी संवत 2073–76 ग्राम वजीरपुर के खाता संख्या 574, 573, 483 मे दर्ज वादी का नाम प्यारेलाल के स्थान पर पंखीलाल शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातो मे दर्ज शेष प्रविष्थिया यथावत रहेंगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर

उप जिला कलक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

पंखीलाल पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली ——वादी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर
2. रामधन पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
3. श्रीमन पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
4. शिवचरण पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
5. रामचरण पुत्र रामधन, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
6. एम.पी. पुत्र मोतीलाल, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
7. कमल पुत्र मोती, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली
8. तिक्की पुत्र मोती, मीना निवासी परीता तह0 व जिला करौली

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. — 362/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संजय शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर जमांबदी संवत 2073—76 ग्राम वजीरपुर के खाता संख्या 574, 573, 483 मे दर्ज वादी का नाम प्यारेलाल के स्थान पर पंखीलाल शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। इन खातो मे दर्ज शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेंगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/7/2025 को जारी किया गया।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

उपजिला कलेक्टर
वजीरपुर(स०मा०)

Scanned with OKEN Scanner